सं०सं०–1/भा०मे०का०अ०–04/2012–.....11.....(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
भागलपुर।

पटना, दिनांक– 25/ 04 /2012

विषयः–भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को वित्तपत्र कोड N 2210011100009 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतन भत्ते एवं अन्य प्राथमिक ईकाईयों में कुल रूपये 19,24,57,900/– (उन्नीस करोड़ चौबीस लाख सनतावन हजार नौ सौ रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार अधीक्षक, भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को वित्तपत्र कोड N 2210011100009 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में कुल रु० **19,24,57,900/–** (उन्नीस करोड़ चौबीस लाख सनतावन हजार नौ सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगें।

4. इस राशि के व्यय का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0009–भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर माँग संख्या–20, वित्तपत्र कोड– N 2210011100009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि अधीक्षक बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापन प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

24/4/2012

क्रमशः

8. इस आवंटनादेश में मशीन एवं उपकरण ईकाई में 20,00,000/– (बीस लाख) रूपए की राशि भी समाहित है जो मशीनों के मरम्मति एवं रखरखाव के लिए दिया जा रहा है।

9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/ अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012.

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

17/4

ज्ञापांक–1/अनु०मे०कॉ०अ०–06/2012–....11.(1)ब०/ पटना, दिनांक– 25/ 04 /2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/ जिलाधिकारी, भागलपुर कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2012.

सरकार के संयुक्त सचिव।

17/4/12

भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर विपत्र कोड एन 2210011100009 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि का आवंटन

विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	आवंटित राशि	शेष राशि
01 01 वेतन	77016000	69314400	7701600
01 03 जीवन यापन भत्ता	51600000	46440000	5160000
01 04 मकान किराया भत्ता	6055000	5449500	605500
01 06 चिकित्सा भत्ता	785000	706500	78500
01 07 अन्य भत्ता	1625000	1462500	162500
योग– वेतन एवं भत्ते	**137081000**	**123372900**	**13708100**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	250000	250000
11 01 यात्रा व्यय	100000	50000	50000
13 01 कार्यालय व्यय	3200000	1600000	1600000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	800000	400000	400000
13 03 दूरभाष	70000	35000	35000
13 04 विद्युत प्रभार	11000000	5500000	5500000
13 05 विधि प्रभार	100000	50000	50000
13 06 वर्दी / पोशाक	400000	200000	200000
14 01 किराया महसूल एवं कर	400000	200000	200000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	5000000	2500000	2500000
21 02 दवां भण्डार	30000000	15000000	15000000
21 03 आहार / पथ्य	10000000	5000000	5000000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	20000000	0	20000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	65000000	32500000	32500000
34 01 छात्रवृत्ति / वजीफा	7500000	3750000	3750000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	40000000	2000000	38000000
कुल योग :–	**331251000**	**192457900**	**138793100**

(उन्नीस करोड़ चौबीस लाख सनतावन हजार नो सौ रूपये) मात्र

11(1)9°
25-4-12

24/4/2012.

17/4/12

सरकार के संयुक्त सचिव।